पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ओडीएफ प्लस के लिए आईईसी गतिविधियां

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) यानी एसबीएम (जी) को दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई है। यह स्वच्छता के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और उन्नत प्रयास कर रहा है। एसबीएम (जी) के चरण–2 का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के लिए जनांदोलन के माध्यम से ग्रामीण भारत को ओडीएफ प्लस गांवों में बदलना है। स्वच्छता के लिए सामुदायिक जुड़ाव और स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक और नवीन रणनीतियों को नियोजित करना सफलता की कुंजी है। इसके अंतर्गत जागरूकता पैदा करना, सामुदायिक जुड़ाव, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए मांग सृजन करने के लिए सामूहिक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना शामिल है। राज्यों को, स्थानीय संस्कृति, प्रथाओं और संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए आईईसी रणनीतियों का ख़ाका तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है। विभिन्न हितधारकों को संचार और विषयगत क्षेत्र में सुनियोजित क्षमता निर्माण करना भी एक प्रमुख घटक है।

आईईसी और क्षमता निर्माण के लिए वित्तपोषण

दिये गए दिशानिर्देशों के अनुसार, एसबीएम के कार्यक्रम संबंधी घटकों के कुल वित्त पोषण का 5% तक, आईईसी और क्षमता निर्माण क्रियाकलापों के लिए उपयोग किया जा सकता है। राज्य/जिला स्तर पर 3% और केंद्रीय स्तर पर 2% तक, निधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच व्यय का विवरण, अन्य निधियों की तरह, क्रमशः 60% और 40% जबकि उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 90% और 10% के अनुपात में होगा।

संचार के मुख्य उद्देश्यः

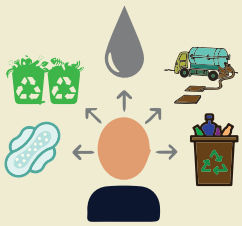

ओडीएफ प्लस के मुख्य घटकों के बारे में **जागरूकता पैदा करना**

ओडीएफ प्लस पहलों में **सामुदायिक भागीदारी को मज़बूत बनाना**

सही जानकारी और बेहतर समझ के आधार पर निर्णय लेने के लिए **व्यक्तियों और परिवारों को सशक्त बनाना**

जीडब्ल्यूएम, एफएसएम, पीडब्ल्यूएम, बीडब्ल्यूएम और इसकी प्रक्रियाओं पर सही और उपयुक्त जानकारी प्रदान करने के लिए हितधारकों की **संचार क्षमता का निर्माण करना**

एसएलडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों पर सामूहिक स्वामित्व लेने के लिए **परिवारों और समुदायों को संगठित करना**

समुदायों को एसएलडब्ल्यूएम आदतों के प्रति **प्रेरित करना**

मुख्य संदेश

हितधारकों की मैपिंग के बाद, आईईसी के तहत अगला कदम प्रभावशाली और प्रासंगिक संदेशों को डिज़ाइन करना है ताकि इन संदेशों को सभी हितधारकों तक पहुंचाया जा सके। प्राथमिक ओडीएफ प्लस व्यवहार के लिए संदेश, तकनीकी, सांस्कृतिक, और जेंडर संवेदनशीलता की दृष्टिकोण से उपयुक्त हो। इन संदेशों का प्रसार विभिन्न रचनात्मक साधनों के माध्यम से स्थायी व्यवहार परिवर्तन के लिए आवश्यक है।

संचार कार्य योजनाओं के लिए संचार प्रणाली का संयोजन

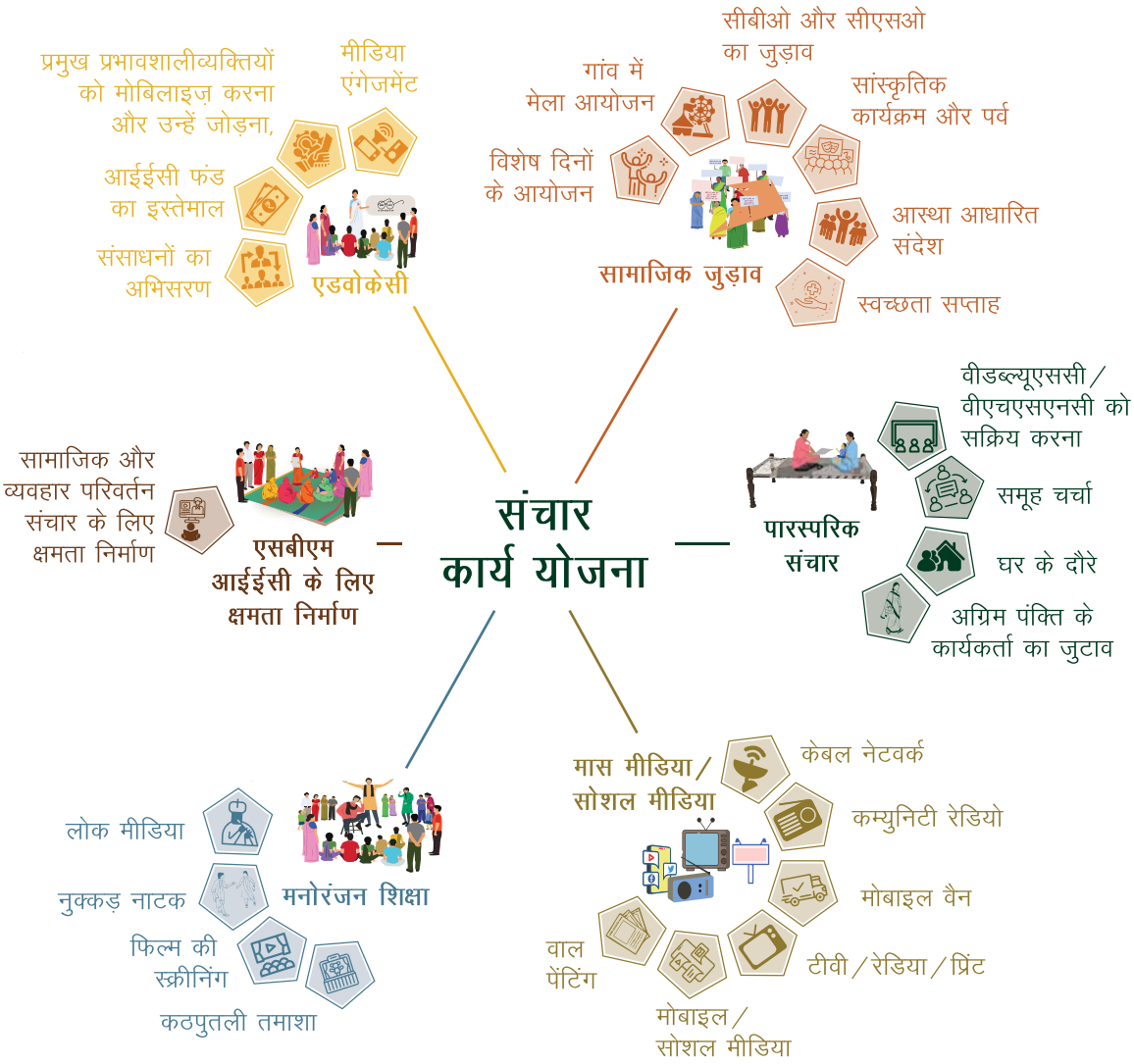

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रमुख अपेक्षित क्रियाएं

प्राथमिक हितधारक

बायोडिग्रेडेबल (जैविक अपघटनीय पदार्थ)

- घर पर ठोस कचरे को अलग करें (रसोई में सूखा और गीला कचरा, अन्य घरेलू कचरा)
- घरेलू स्तर पर बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकठ्ठा करें और सही ढ़ंग से प्रोसेस करें (कचरे के लिए पॉट, गड्ढा या वर्मीकम्पोस्टिंग)
- बीडब्ल्यूएम से प्राप्त खाद का उपयोग करें, बेचे या साझा करें
- बायोडिग्रेडेबल कचरे का गलत तरीके से निपटान न करें (खुले स्थानों/जल निकायों में फेंकना या जलाना)

गोबर धन

- पशुओं के मल को नियमित रूप से किसी को सौंपे या बेचें
- पशुओं के मल के गलत निपटान को रोकें (जलाकर, खुले/सार्वजनिक स्थानों में फेंककर और जल निकायों में बहाकर)

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम)

- प्लास्टिक को ना करें, कम करें, पुनः उपयोग और पुनःचक्रित करें (पीडब्ल्यूएम के 4–आर का पालन करें)
- एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के उपयोग को कम/बंद करें
- प्लास्टिक के विकल्प का उपयोग करें (कपड़ा/जूट बैग, पुनः उपयोग होने वाले कंटेनर, जैव प्लास्टिक और सेलूलोज–आधारित विकल्प)
- प्लास्टिक कचरे के गलत निपटान को रोकें (जलाना, खुले में फेंकना, जल निकायों में बहाना)
- घरेलू स्तर पर प्लास्टिक कचरे को अलग करें।
- अलग किए गए प्लास्टिक कचरे को गांव में कूड़ा इकट्ठा करने वाले और संग्रह केन्द्रों को सौंपें।

मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन

- मासिक धर्म से उत्पन्न कचरे को घरेलू स्तर पर निपटान के लिए अलग करें
- मासिक धर्म से उत्पन्न कचरे का सही ढ़ंग से निपटान। उपयोग किए गए मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के अनुचित निपटान (जल निकायों और शौचालयों में फेंकना, जलाना) को रोकें।
- पर्यावरण के अनुकूल मासिक धर्म उत्पादों (बायोडिग्रेडेबल पैड, मासिक धर्म कप) का उपयोग करें।

तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रमुख आपेक्षित क्रियाएं

प्राथमिक हितधारक

ग्रे वाटर (गन्दला जल) प्रबंधन

- ताज़े पानी का समझदारी से उपयोग
- घरेलू स्तर पर न्यूनतम ग्रेवाटर का उत्पादन
- जहां भी संभव हो, घरेलू स्तर की उपचार इकाइयों की स्थापना (सोक पिट, मैजिक पिट)
- घरेलू स्तर की उपचार इकाइयों का रखरखाव
- जहां उपलब्ध हो, वहां घरेलू ग्रेवाटर को कन्वेंस सिस्टम में डिस्चार्ज करें
- घरेलू स्तर पर विभिन्न कामों के लिए ग्रेवाटर का पुनः उपयोग जैसे की किचन गार्डन

मलीय कचरा प्रबंधन (एफएसएम)

- हर समय शौचालय का प्रयोग करें (घर के सभी सदस्यों द्वारा)
- खुले में शौच करना बंद करें
- ट्विन पिट् (दो गड्ढे वाले) शौचालय का निर्माण/शौचालय के बुनियादी ढ़ाचे में सुधार
- ज़रूरत के अनुसार सिंगल पिट (एकल गड्ढा) शौचालय को ट्विन पिट (दो गड्ढे वाले) शौचालय में बदलना
- शौचालय को साफ रखें
- रख रखाव से शौचालय को उपयोग में बनाएं रखें
- सेप्टिक टैंक और सिंगल पिट टॉयलेट की निगरानी करें और आवश्यकतानुसार टैंक की साफ–सफाई सुनिश्चित करें
- हर 3–5 साल में आवश्यकतानुसार सिंगल पिट टॉयलेट के सेप्टिक टैंक की सफाई
- मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा केवल मशीनों से सेप्टिक टैंक की सफाई

स्वच्छता प्रथाओं के लिए प्रमुख अपेक्षित क्रियाएं

प्राथमिक हितधारक

स्वच्छता क्रियाएं

- शौच के बाद खाना बनाने/परोसने से पहले साबुन से हाथ धोना
- स्वच्छता परिसंपत्ति और सुविधाओं का रखरखाव
- पीने के पानी को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना और संभालना
- सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकना
- सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना
- खांसने और छींकने के शिष्टाचार का पालन करें (मुंह ढ़कें)
- कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें (हाथ धोना, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना)

क्षमता निर्माण

ओडीएफ प्लस के लिए एडवोकेसी और संचार गतिविधियों को प्रारंभ करने और आईईसी गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों की अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण गतिविधियों को ग्राम पंचायत, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है।

हितधारकों की भूमिका

आईईसी गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए, प्रत्येक हितधारक को ओडीएफ प्लस के संचार उद्देश्यों को प्राप्त करने और व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए।

राज्य की भूमिका

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आईईसी और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेंगे कि बीसीसी गतिविधियों का कार्यान्वयन पूरे राज्य में ज़िले और ग्राम पंचायतों को इकाई मानते हुए में प्रसारित हुआ है।

फंड आवंटनः राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए आबटित 3 प्रतिशत धनराशि के राज्य और ज़िलों द्वारा खर्च का अनुपात तय करेगी।

आईईसी रणनीति योजनाः राज्यों को यह सुनिश्चित करना है कि आईईसी गतिविधियों के लिए योजना और बजट सभी जिलों में उनकी ज़िला स्वच्छता योजनाओं के अंर्तगत किया जाता है। राज्य स्तर पर आईईसी योजनाओं को, राज्य योजना स्वीकृति समिति द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

राज्य स्तरीय गतिविधियों का संचालनः राज्यों को अपने स्वयं के आईईसी अभियान विकसित करने, केंद्र के आईईसी अभियानों को बढ़ाने और जिलों द्वारा चलाए जा रहे स्थानीय आईईसी अभियानों के कार्यान्वयन की निगरानी करनी है।

ज़िले की भूमिका

योजना बनानाः ज़िला, समुदाय के सभी वर्गों तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए अपनी वार्षिक कार्यान्वयन योजना में एक विस्तृत आईईसी योजना का समावेश करेगा जोकि उसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा होगा।

वित्त पोषणः आईईसी योजना को लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि ब्लॉक, ग्राम पंचायतों को दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जा सकती है।

स्टाफ की नियुक्तिः ज़िला स्तर पर एक या एक से अधिक आईईसी सलाहकार का नामांकन सुनिश्चित करना।

सोशल मीडिया का इस्तेमालः स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ–साथ एसबीएम (जी) के तहत किए जा रहे कार्यों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर हैंडल के माध्यम से प्रसार करना।

निगरानीः सभी ग्राम पंचायतों में आईईसी के तहत चलाए जा रहे अभियानों की निगरानी करना।

स्वच्छताग्रहियों की भूमिका

गांव को ओडीएफ का दर्जा हासिल करने में स्वच्छताग्रहियों की एक अहम भूमिका रही है। इसी भूमिका को ओडीएफ प्लस और व्यवहार परिवर्तन की दिशा में की जा रही गतिविधियों और प्रयासों में भी जारी रखा जाएगा। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्वच्छाग्रहियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, डीडीडब्ल्यूएस ने एसबीएम (जी) की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में स्वच्छाग्रहियों की भागीदारी के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

यह हैं:

- समुदायों को संगठित और सशक्त बनाना (फ्रंटलाइन मानव संसाधन/कार्यकर्ता)
- शौचालय निर्माण, उपयोग और रखरखाव को सुविधाजनक बनाना
- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) जैसे इंफ्रास्ट्रक्टर की मरम्मत और सुधार
- प्रमुख ओडीएफ प्लस प्रथाओं के लिए निरंतर व्यवहार परिवर्तन की सुविधा
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वाच्छता को बढ़ावा देना जिसमें घर और गांव में साफ–सफाई का दिखाई देना भी शामिल है
- घरेलू और पंचायत स्तर पर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहायता
- क्षमता निर्माण में भाग लेनाः ओडीएफ प्लस प्रशिक्षण/ओरिऐंटेशन/आईवीआरएस आधारित शिक्षा लेकर समुदाय को प्रशिक्षण प्रदान करना
- एसबीएम–2 दिशानिर्देशों के अनुलग्नक–7 और/या राज्य दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रोत्साहन संरचना के अनुसार एसबीएम–2 की पहल के कार्यान्वयन का सहयोग करना।

(अनुलग्नक 7 एसबीएम–2 दिशानिर्देश)

आईईसी योजना के कार्यान्वयन के तहत सामुदायिक स्तर पर निगरानी के लिए एक टूल (ऐप और डैशबोर्ड) विकसित किया जा सकता है।

कार्यान्वित गतिविधियों की समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, विशेष रूप से स्वच्छाग्रहियों के मोबाइल फोन में एप्लिकेशन को इंस्टॉल किया जा सकता है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर